# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 23.03.2018

परशुराम पुत्र श्योकरण जाति मीना निवासी सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 16.02.2018. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

## निर्णय

दिनांक 18.07.2018.

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.30 है0 किस्म बारानी प्रथम ग्राम सरदारपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नही हुई है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पटवारी हल्का द्वारा दूर्भावना पूर्वक अपीलांट के विरुद्व रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया हैं।अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर निर्णय पारित किया है,जबकि निर्णय मे इस तथ्य को कोई हवाला नही हैं।अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य मे कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.30 है0 भूमि पर चने की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का के बयान से सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार बनेठा ने उनके पत्र क्रमांक 81 दिनांक 17.07.2018 से वर्तमान मे अपीलांट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही है की रिपोर्ट प्रेषित की है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2018 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार बनेठा यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते